



झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक

विक्रम संवत्

9(शु0) माघ 1940 (शा0)

05/2019

2075

जमशेदपुर, गुरुवार, 14/02/2019

विषय सूची - धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के 20 कि०मी० की परिधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा नये स्ट्रक्चर/टावर आदि के निर्माण कार्य हेतु NOC को प्रतिबंधित करने के सम्बंध में अधिसूचना।

पृष्ठ संख्या

01-01

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
(राजस्व शाखा)

अधिसूचना

निदेशक, उड़ान संचालन, परिवहन एवं नागर विमानन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 96, दिनांक- 29.01.2019 तथा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-GSR-751(E), दिनांक-30.09.2015 आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिला के धालभूमगढ़ अंचलान्तर्गत धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के 20 कि०मी० की परिधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा नये स्ट्रक्चर/टावर आदि के निर्माण कार्य हेतु NOC को प्रतिबंधित किया जाता है।

ह०/-
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

ज्ञापांक -337/रा०, जमशेदपुर, दिनांक -14 वीं फरवरी 2019 ई०

प्रतिलिपि -अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि -अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि -जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि -प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को जिला गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि -वरीय पुलिस अधिक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि -निदेशक, उड़ान संचालन, परिवहन एवं नागर विमानन विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक- 96, दिनांक- 29.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर